कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

तारबहार, बिलासपुर email:- bsp.jd18@gmail.com फोन नं. –07752–493695

क/अशास./मान्य.नवीनी./RIG-T /2022/208 बिलासपुर, दिनांक 17/02/2022

प्रति,

प्राचार्य,
इंडियन स्कूल,
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भ :– आपका आवेदन दिनांक 27.01.2022.

संदर्भित आवेदन के अनुसार आपकी संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के पत्र क./3720/मान्यता/2019–20 रायगढ़ दिनॉक 27.06.2019 में उल्लेखित शर्तों के अधीन एवं नोडल अधिकारी/प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. चक्रधर नगर, जिला–रायगढ़ के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर **इंडियन स्कूल, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) (यू डाईस–22041515017)** को **नर्सरी** से **कक्षा 12 वीं** तक **सत्र 2020–21 से सत्र 2022–23 कुल तीन वर्षो** के लिये **अंग्रेजी माध्यम विद्यालय** की शाला संचालन करने हेतु अनंतिम **मान्यता** (नवीनीकरण) प्रदान करने की संसूचना छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश कमांक एफ.– 02–39/2019/20 – दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है :–

<u>मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्ते</u>

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वी तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत् उल्लेखित मानकों के सभी शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नही हानि नही (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की **धारा 19** में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है :–

- विद्यालय का भवन – प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक–पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
- खेल का मैदान।
- प्राचार्य/ प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक – पृथक कक्ष।
- स्टाफ,छात्र,छात्राओं के लिये पृथक – पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- द्विव्यांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र।

Principal
Indian School
Raigarh

17.02.2022

Principal
Indian School
Rita Agrawal
Manager
Indian School
Raigarh (C.G.)